>

Title: Need to provide compensation to the farmers of Sriganganagar Parliamentary Constituency whose land has been acquired by the Indian Air Force.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ जिले के पांच गांवों मोटेर, धाधूसर, बांगासर, बन्नासर व धीरजदेसर गावों की 43 हजार, 399 बीघा 17 बिसवा भूमि जो 17 वर्ष पूर्व वायु सेना के उपयोग के लिए अधिगृहीत की गयी थी के फलस्वरूप 15 सौ परिवारों का एक मात्र साधन कृषि द्वारा जीवन यापन हो रहा था, छिन गया।

मैं मानता हूं कि देश की रक्षा के लिए सेनाओं की आवश्यकतानुसार सरकार को साधन जुटाना आवश्यक है परंतु इससे किसानों को हुई क्षति की पूर्ति भारत् सरकार के संबंधित विभाग की जिम्मेदारी भी है। पिछले 17 वर्षों में संबंधित अधिकारियों द्वारा अनेकों बैठकें की गयीं परंतु मुआवजे की राशि आज तक भी तय नहीं हो पायी। संबंधित किसान जिनकी भूमि अधिकृत की गयी थी वे सभी आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

इस विषय की चर्चा प्रिंट मीडिया में समय-समय पर होती रही है परंतु भारत सरकार में, विशेषकर रक्षा मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों का इस ओर ध्यान कभी नहीं गया।

आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि उक्त विषय पर संवेदनशील होकर विचार करे तथा शीघ्र मुआवजे का निर्धारण कर किसानों को अविलम्ब भुगतान कराया जाये ताकि बेबस, कमजोर किसान मुआवजे की राशि पाकर अन्य कारोबार कर अपना जीवन-यापन कर सकें।

इस मांग को किसानों का हक मानते हुए तथा मानवीयता को ध्यान में रखकर शीघ्रतिशीघ्र इसका निदान करने की आवश्यकता है।